

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग,
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या:- ल0सि0मो0-अनियमितता-205/2020 - 1442(मौ०) / पटना, दिनांक:- 09/7/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियंता,
मुख्यालय अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई प्रमंडल, गया।

विषय:- गया जिलान्तर्गत तालाब को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंग- श्री चन्द्र भूषण, सचिव, लोक स्वाराज गया से प्राप्त ई-मेल

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक ई-मेल के संदर्भ में श्री चन्द्र भूषण, सचिव, लोक स्वाराज, जिला-गया द्वारा गया जिलान्तर्गत ग्राम-रौनियां, थाना- खिजरसराय, खाता न०-558, प्लॉट न०-1974 को स्थानीय दबंग श्री वीरेन्द्र सिंह, पिता-विभूती सिंह एवं श्री त्रिवेणी सिंह, पिता-नखीद सिंह से अतिक्रमित तालाब को मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित योजना की जांच कर ली जाय। योजना विभाग द्वारा कराये जाने वाली Criteria को पूरा करता है तो इसे अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की जाय तथा जल-जीवन-हरियाली अभियान में शामिल करने एवं जिला परामर्शदातृ समिति का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सूची जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

अधीक्षण अभियंता (मु०)
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1442(मौ०)

/पटना, दिनांक- 09/7/2020

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, गया/मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता (मु०)
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक- 1442(मौ०)

/पटना, दिनांक- 09/7/2020

प्रतिलिपि:- श्री चन्द्र भूषण ई-मेल Id (Satyapath102@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियंता (मु०)
अनुश्रवण

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

9/7/20

Email

secmnir-bih@nic.in

Pond Encroachment No Work under Jal Jeevan Haryali

31/06/2020 (अनुप)

लघु जल संसाधन विभाग

From : satyapath102@gmail.com

Sat, Jun 13, 2020 08:26 AM

Subject : Pond Encroachment No Work under Jal Jeevan Haryali

1 attachment

15 JUN 2020
To : Anurit Lal Meena <secmnir-bih@nic.in>

Respected Sir,

(अपर मुख्य सचिव)

This is to bring to your notice that A Public Pond with Khata Number-558 and Plot number 1974 in Raunia Village of Khizersarai Block of Gaya District is encroached upon, illegally Concrete buildings have been built by the Local Village Muscle Men namely Virendra Singh S/O Vibhuti Singh, Triveni Singh S/O Nakhid Singh.

25/8
2328
13/6/20
Previously numerous complaints have been made to the CO, Khizersarai and Lok Shikayat Forum, I did emailed my complaint to District Magistrate Gaya but nothing was done to get the Pond encroachment free. Due to the Encroachment of the Pond water level of the area has gone down drastically and many villagers face the day to day problems.

003
16/6/20
This pond is in the heart of the village and is a source of water for 50 household, but administration is not taking any action and neither this pond has been mentioned under Jal Jeevan Haryali Mission.

I would request you to please take immediate action before it's too late. Hoping for your kind consideration for swift action and ensure the Pond is freed from encroachment.

I am also attaching previous complaint details with this email id for your reference.

I have worked in this region for Restoration of Water Irrigation System and Environmental Conservation.

Regards,
Chandra Bhushan
Secretary - Lok Swaraj
Gaya (Bihar)

- रौनियां गाँव तालाब शिकायत.pdf

1 MB

रौनियां गाँव तालाब शिकायत (अनुप)

97.0
1878

2815 (अनुप)

18-06-2020

गांधीबस जंपल अधिकाारी, बिजल सराय (जमा)
अतिक्रमरा वाद सं - 1/2004-05

झांपांक - 7/ दिनांक - 16/06/05

प्रेषित
श्री राम पिता शर्मा ✓
अंचल निरीक्षक, बिजल सराय (जमा)

विषय: - ग्राम शैनिगां जमा नं. 50 वाता बिजल सराय जिला जमा
के खाता नं. 558 पोर्ट नं. 1974 रकमा 0-26 बी पर
अतिक्रमरा दंडों के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संबंध में कदा हेतु श्री
रानी सिंह पिता स्व. बख्त सिंह राम पटौर सिंह पिता स्व.
मोदी सिंह एवं विभूति सिंह पिता स्व. जीतवाहर सिंह वाठ शैनिगां
जमा बिजल सराय जिला जमा के खाता नं. 558 पोर्ट नं. 1974 रकमा
0-26 बी. इनलोगों द्वारा अतिक्रमरा पर बिजा जमा है। उक्त खाता
पोर्ट, एवं रकमा पर अतिक्रमरा दंडों हेतु श्री राम पिता शर्मा
अंचल निरीक्षक को विशेष दण्ड अधिकाारी के रूप में प्रतिनिधुक्त
किता जाया है।

उक्त आदेश दिमा जाया है कि व्यापी
अतिक्रमरा एवं अतिक्रमरा के रूप में प्रतिनिधुक्त
अतिक्रमरा को दंडों एवं आदेश का पालन करना
अनिवार्य है।

6
अंचल अधिकाारी,
बिजल सराय (जमा)

कार्यालय अंचल अधिकारी, खिजटा खण्ड (जयपुर)

श्रीपांक 285 दिनांक 2-9-03

प्रेषित

तहसील उदुपी

अंचल अधिकारी, खिजटा खण्ड (जयपुर)

विषय: - ग्राम हरीनिया के पीरवर एवं इमम वाड़ा
गैरमजकूत जमीन के मापी के संबंध में।

उपरोक्त विषयक ग्राम हरीनिया का खिजटा खण्ड
जिला जयपुर के खण्ड नं. 538 एबीएन. 1974 एवं 1982
शकवा पीरवर एवं इमम वाड़ा के मापी करने हेतु
प्रति नियुक्त किया गया है।

अतः आप को आदेश दिया जाता है
कि व्यापक पुलिस पदाधिकारी एवं शिवालय बल के
साथ उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

Handwritten signature

Handwritten signature

अंचल अधिकारी,
खिजटा खण्ड (जयपुर)

संज्ञा

अंशक अधिकारी
राज्यसंस्थान 101511।

विषय: - मीजा ^{मन} शैलिया अंशक राज्यसंस्थान का निम्नलिखित
सूचि ^{मन} एन. 1974 पारदर्शिता का मापन के
संबंध में।

संज्ञा

आज दिनांक 26-11-03 को मीजा ~~राज्यसंस्थान~~ शैलिया
50.50 अंशक राज्यसंस्थान (राज्य) का निम्नलिखित सूचि
एन. 1974 निम्नलिखित पारदर्शिता का मापन
गुण/मापन के संबंध में।

विशवास भाजन

मन


26.11.03

अंशक राज्यसंस्थान

- 1) रामाधर प्रोसिंह
- 2) नरेश कुमार
- 3) पुणेदेव प्रो. माधव -
- 4) सतीश कु. मी. 2



म
 मोजा - २१ निमा
 मर - ५०
 समय - रिकार सराम (२१ मा)
 फोमना - ३२" = १ मील
 वर्ष - १९७९-८०



Plot No. 1974 पर ०.२६ डि

- ① १९७५ मे १० $\frac{३}{४}$ डि पर मिही मरुं श्री विभूति सिंह द्वारा पंडे पोषा लिमां गमा है
- ② १९७५ मे ०.०५ डि जपान या मिही मरुं रामदाहिन सिंह एवं शिवेण सिंह द्वारा ईट का मरुं लिमां गमा है

Signature

10.01.08

अमरुं कमा

रकार सराम (२१ मा)